

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/नि.प.(403/94)/अलेसे -III/8085-89 दिनांक :- 1-12-2014

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 53/2013-14 दिनांक 10.05.2013 के द्वारा श्री मुरली मनोहर, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण उपकोषालय खींवसर (नागौर) में किया गया था, परन्तु श्री मुरली मनोहर द्वारा स्थानान्तरण आदेश की पालना में अभी तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः श्री मुरली मनोहर, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आज ही नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस निदेशालय को भिजवावें। निर्देशों की अवहेलना में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।




(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/नि.प.(403/94)/अलेसे -III/8085-89 दिनांक :- 1-12-2014

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (नागौर) को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री मुरली मनोहर को राज्य हित में अविलम्ब कार्यमुक्त करवाने का श्रम करावें।
2. उप कोषाधिकारी, खींवसर (नागौर)।
3. श्री मुरली मनोहर, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (नागौर) को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को शीघ्र अवगत करावें।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. कम्प्यूटर शाखा, वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।



(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)